कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110

डा० रश्मि
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(छात्रा)

डा० डी० के० सिंह
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(छात्र)

पत्रांक सं०: सवप/अ०छा०क०/2026/14122
दिनांक: 18.08.2026

छात्रावास की कोऑपरेटिव मेस के संचालन हेतु सामान्य नियम

1. हॉस्टल की को ऑपरेटिवमेस में फ़ाइनेंस का मैनेजमेंट एक पारदर्शी, निष्पक्ष और आसानी से हिसाब लगाने वाले **'डुअल-टैरिफ़' (फ़िक्स्ड + वेरिएबल) बिलिंग सिस्टम** के ज़रिए किया जाएगा। यह सिस्टम मानता है कि मेस में दो तरह के खर्च होते हैं: **फ़िक्स्ड कॉस्ट** (जो तब भी होते हैं जब कोई व्यक्ति खाना खाए या न खाए) और **वेरिएबल कॉस्ट** (जो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कच्चे खाने की मात्रा से सीधे जुड़े होते हैं)।
2. महीने के आखिर मेंमेस मैनेजर और मैस सेक्रेटरी कुल खर्च को दो अलग-अलग अकाउंट में बाटेंगे। **फिक्स्ड खर्च** (सबके बीच बराबर बंटा हुआ): इसमें कुक/हेल्पर की सैलरी, खाना पकाने की गैस (बेसिक फ्यूल), ट्रांसपोर्ट का खर्च और महीने का बेसिक मेंटेनेंस खर्च शामिल है। छात्रावास के वे विद्यार्थी जो छुट्टी या आधिकारिक टूर या मेडिकल अवकाश आदि हेतु छात्रावास में बिल्कुल नहीं खाते हैं उन्हें भी कोऑपरेटिव मेस का फिक्स्ड चार्ज देना होगा। फिक्स्ड चार्ज का निर्धारण प्रत्येक मांह मेस कमेटी करेगी । **वेरिएबल खर्च** (हाज़िरी के हिसाब से): इसमें रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे, पनीर और राशन का सामान शामिल है।
3. सहकारी (को-ऑपरेटिव) मेस के सुचारू संचालन हेतु, प्रत्येक छात्र/छात्रा को पंजीकरण के समय एक माह का मेस शुल्क (छात्रों के लिए ₹3500 एवं छात्राओं के लिए ₹3200) अग्रिम रूप से छात्रावास मेस खाते में जमा करना अनिवार्य है, जिसे बाद में सेमेस्टर के अंत या मैस नौ ड्यू से पहले समायोजित कर दिया जाएगा।
4. छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को सामूहिक भोजनालय में भोजन करने हेतु हर हाल में पूर्ण भुगतान 5 तारीख तक देना होगा, 5 तारीख के बाद 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से फाइन लिया जाएगा। 20 तारीख के पश्चात छात्रावास के विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र अग्रसारित कर दिया जाएगा।
5. ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल, इंटरनशिप या कोई ऑफिसियल छुट्टी पे होंगे, वो सामुदायिक भोजनालय में छूट का दावेदार होगा। साथ ही विद्यार्थी जो किसी कारणवश अति आवयस्यक कार्य हेतु बाहर जा रहे हो, वो तभी सामुदायिक भोजनालय में छूट का दावेदार होंगे जब न्यूनतम 06 या इससे अधिक कार्य दिवस में अनुपस्थित लगातार होगी। अनुपस्थित विद्यार्थी अपने एडवाइजर एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक से हस्ताक्षर करवाकर एप्लीकेशन/गेट पास/छुट्टी का प्रार्थना पत्र मैसमैनेजर, मेस सेक्रेटरी अथवा हॉस्टल केयर टेकर को एक से दो दिन पहले देगा। मेस मैनेजर, अथवा मेस सेक्रेटरी उक्त एप्लीकेशन को छात्रावास अधीक्षक या सहायक छात्रावास अधीक्षक से सत्यापित कराएंगे।
6. प्रार्थना पत्र छुट्टी पर जाने के एक दिन पहले देना पड़ेगा । छुट्टी पर जाने के बाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. महाविद्यालय में उपस्थित विद्यार्थी छात्रावास में भी उपस्थित माना जाएगा ।
8. कोई भी विद्यार्थी अपने कमरे में थाली ले जाकर भोजन नहीं करेगा यदि कोई विद्यार्थी थाली ले जाता हुआ या अपने कमरे में भोजन करता हुआ पाया गया तो उस पर ₹200 आर्थिक दंड लगाया जाएगा ।
9. कोई भी विद्यार्थी अपने कमरे पर भोजन नहीं बनाएगा। सभी विद्यार्थी को सामुदायिक भोजनालय में ही भोजन करना होगा । यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास के कमरे में भोजन बनाता हुआ पाया गया तो उस पर ₹500 आर्थिक दंड लगाया जाएगा । पुनरावृति होने की स्थिति में उक्त विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक या छात्रावास निष्कासन की कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।
10. छात्रावास के बाहर के विद्यार्थी एवं मेहमानों के लिए छात्रावास में भोजन करने हेतु नाश्ते, मध्यान भोजन एवं रात्रि भोज हेतु मेजबान को खाना बनने से पहले मेस मैनेजर अथवा मेस सेक्रेटरी को सूचित करना होगा तथा भोजनालय कमेटी के सदस्य इसका लेखा-जोखा रखेंगे।
11. छुट्टी पर गए हुए विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए उनका पैसा बाद में वापस कर दिया जाएगा परंतु शुरुआत में उन्हें पूरा भुगतान करना होगा ।
12. सामुदायिक भोजनालय के संचालक पूरा प्रयास करेंगे कि वह ली गई धन राशि में सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक भोजन सुनिश्चित करें, परंतु महंगाई बढ़ने, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने की स्थिति में यदि खर्च ज्यादा आता है तो उसका भुगतान अलग से विद्यार्थियों को करना होगा ।
13. मैस अकाउंट कमेटी प्रत्येक माह आय व्यय का ऑडिट करेगी ।
14. प्रत्येक माह की 25-30 तारीख के बीच एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमे की मेस से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी ।
15. छात्रावास में निवासरत समस्त विद्यार्थियों को हर सेमेस्टर में कमरा आवंटित कराने से पहले कम्युनिटी मेसका अनापत्ति पत्र (NOC)मैस मैनेजर की संस्तुति के आधार पर छात्रावास अधीक्षक से लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना उन्हें अगले सेमेस्टर में छात्रावास आवंटित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त सभी नियमों के अतिरिक्त छात्रावास के सामूहिक भोजनालय कमेटी के सदस्य,छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक समय-समय पर बैठक करके अपने नियम बना/ संशोधित भी सकते हैं।
17. नियमों एवं छात्रावास में अनुशासन का पालन न करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/आर्थिक दंड/ छात्रावास निष्कासन की कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है ।
18. अगले वर्ष छात्रावास अलॉट्मेंट के समय पिछले छात्रावास से “नौ ड्यू (No Due)” प्राप्त किया जाना आवस्यक होगा। जिन छात्रावासो में विद्यार्थियों ने “नौ ड्यू (No Due)” नहीं कराया है उनकी लिस्ट संबन्धित अधिस्ठाता को पंजीकरण की दिनाक से पहले उपलब्ध करा दी जाए ।

18/8/26

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(छात्रा)

18/8/26

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(छात्र)

प्रतिलिपि:

1. समस्त छात्रावास अधीक्षको /अधीक्षिकाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. समस्त मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कुलसचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।